

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 154/17

Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant.....

आबकारी विभाग  
ब्लॉक : गौड़  
जिला - भिण्ड

Name , parentage, caste and address of accused

आरवण्ड/0 सरनाम काठर  
उम - 19 नि. मानपुर  
छा. नि. गिल ठाबा  
क्षेत्र

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 18/7/2017 मुकाम  
..... पर बिना वैध अनुज्ञाप्ति के अपने  
आधिपत्य में 1.5 लीटर/पाव/बोटल ..... शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय  
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of  
the property in respect of which the offence has been committed.



// निर्णय //

(आज दिनांक 21/8/2017 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायालय उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 500 शब्दों में 7 दिवस रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति 1.5 लीटर/पाव/बोतल कच्ची शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देशानुसार टिकित